# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 41/2021 राजस्व वाद

अनवान

1– प्यारचन्द पुत्र भैरू खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा
2– कैलाश पुत्र भैरू खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा
3– कन्या पुत्री भैरू खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा
4– कमला पत्नी भैरू खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा

– वादीगण

**बनाम**

1– कालु पिता बालु खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा
2– मुकेश पिता गोकल खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा
3– घीसु पिता गोमा खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा
4– बाबुलाल पिता रूपा खटीक निवासी कुण्डियाकला तहसील बनेड़ा
5– तहसीलदार बनेड़ा

– प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
उपस्थितः– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

## निर्णय

दिनांक 27.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाद वादीगण **अन्तर्गत 183** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि **ग्राम कुण्डियाकलां पटवार क्षैत्र कुण्डियाकलां भू.अ.नि. क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा की खाता सं. 578 आराजी सं. 1002 रकबा 0.6450 है0 व खाता सं. 579 आराजी नं. 773, 789/1, 948/2, 960, 961, 962/2, 968/2, 971 कुल किता 08 रकबा 1.4543 है0 भूमि** वादीगण के नाम सामलाती राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात में से वादीगण की आराजी नं. 971 रकबा 19 बिस्वा में से 05 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 कालु पिता बालु खटीक एवं आराजी नं. 1002 रकबा 02–11 बीघा में से 02 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने 15 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 03 ने 01 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 04 ने 15 बिस्वा पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 को वादीगण की खातेदारी आराजी से बेदखल कर वादीगण को कब्जा सिपूर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी गण सादर फरमायी जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणों को जारी सम्मन नोटिस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया परन्तु पर्याप्त समय देने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया गया एवं पत्रावली में वकीलवादी की एकतरफा बहस सुनी।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से एक पक्षीय बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट–1955 के तहत प्रस्तुत किया है। जबकी उक्त पत्रावली अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत तहसीलदार बनेड़ा के यहा प्रस्तुत करनी थी।

# ::– आदेश –::

अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 को आंशिक स्वीकार की जाकर उक्त पत्रावली तहसीलदार बनेड़ा को प्रति प्रेषित की जाकर 02 माह की समयावधि में वादीगण के बयान लेकर निर्णय पारीत करें। वादीगण अपना पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतू तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतू दिनांक 18/03/2025 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 27–01–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा
सत्यमेव जयते

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा